

राजस्थान सरकार  
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: चि.प्र./बायोमेट्रिक/2017/ 37)


दिनांक: 31/7/2017

—आदेश—

राज्य के समस्त चिकित्सा संस्थानों में चिकित्सकों, नर्सिंग, पैरामेडिकल स्टाफ व अन्य कर्मचारियों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार के निर्देशानुसार सभी जिला चिकित्सालयों/उपखण्ड चिकित्सालय/सैटेलाईन अस्पताल/टी.बी. क्लिनिक/मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/राजकीय डिस्पेंसरी आदि में बायोमेट्रिक मशीन लगाये जाने का निर्णय लिया गया था, की अनुपालना में बायोमेट्रिक मशीन दिनांक 15.02.2017 से स्थापित की जा चुकी है।

राज्य सरकार द्वारा राज्य के प्रत्येक सभाग में/जिले में स्थित प्रशासनिक कार्यालयों (संयुक्त निदेशक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन आने वाले समस्त जिला एवं ब्लॉक स्तर के प्रशासनिक कार्यालय, जिला औषधी भण्डार एवं सहायक औषधी नियंत्रक कार्यालय एवं अन्य सभी ) में कार्यरत अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण तथा उप स्वास्थ्य केन्द्र पर कार्यरत कर्मचारी की उपस्थिति दर्ज की जाने हेतु Face Reading बायोमेट्रिक मशीन लगाया जाना निर्णित किया गया है। फलस्वरूप निर्देशित किया जाता है कि आप दिनांक 15.07.2017 तक Face Reading बायोमेट्रिक मशीन स्थापित किया जाना सुनिश्चित कर समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करावें।

बायोमेट्रिक मशीनों के संचालन आदि से संबंधित गाईड लाईन विभाग की वेब साईट पर उपलब्ध है।


  
निदेशक (जन स्वा0)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान, जयपुर

दिनांक: 31/7/2017

क्रमांक: चि.प्र./बायोमेट्रिक/2017/ 37)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव एवं मिशन निदेशक, एनएचएम, राजस्थान।
3. निजी सचिव, प्रबंध निदेशक, आरएमएससीएल, राजस्थान।
4. निजी सचिव, निदेशक (जन स्वा0) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार मुख्यालय।
6. औषधी नियंत्रक मुख्यालय।
7. समस्त संयुक्त निदेशक, जोन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान।
8. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजस्थान।
9. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रति पृष्ठांकित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश को सभी संबंधित को ई-मेल द्वारा भिजवाते हुये। विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
10. रक्षित पत्रावली।

  
निदेशक (जन स्वा0)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान, जयपुर